मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-9

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

बुधवार, दिनांक 1 अगस्त, 2007 (श्रावण 10, 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य सर्वश्री रघुवर दयाल रसोइया तथा श्री हरीराम सिंह सर्राफ के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये गये।

श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, श्रीमती जमुना देवी नेता प्रतिपक्ष, सदस्यगण श्री बुंदेला विजय बहादुर सिंह, श्रीमती सरोज बच्चन नायक तथा श्री हमीद काज़ी ने भी शोकोद्गार व्यक्त किये।

सदन द्वारा दो मिनिट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्तजन के लिये संवेदना प्रकट की गई।

दिवंगतों के सम्मान में विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 10.37 बजे 5 मिनट के लिए स्थगित होकर 10.42 बजे पुनः प्रारम्भ हुई।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 16 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 100 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 98 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. नियम 267- क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि नियम 267- क के अधीन लम्बित सूचनाओं में से 39 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा उन्होंने प्रदान की है। ये सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी। इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

उपरोक्त घोषणानुसार -

(1) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य की सतना जिले में रोजगार गांरटी योजना का दुरूपयोग होने,

(2) श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य की विधान सभा क्षेत्र अटेर की अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में स्ट्रीट लाईट स्वीकृति में विलंब होने,

(3) श्री गजराजसिंह सिकरवार, सदस्य की भोपाल शहर के अशासकीय इंजीनियरिंग कालेजों द्वारा अधिक शुल्क वसूलने,

(4) डॉ गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के अंतर्गत परसौना-कचौंगरा के बीच क्वारी नदी के समीप बनाये गये सिंचाई बांध क्षतिग्रस्त होने,

(5) श्री मारोतराव खवसे, सदस्य की पांढुर्ना विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत पांढुर्ना नगर में पशु औषद्यालय की भूमि पर अतिक्रमण होने,

(6) श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य की मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्वत्वों का भुगतान न किये जाने,

(7) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य की भोपाल की सड़कों पर वर्षा का पानी भरने,

(8) श्री बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य की ग्वालियर जिले में महिला स्व सहायता समूह द्वारा आंगनवाड़ियों को एन.पी.एग्रो द्वारा खाद्य सामग्री प्रदाय न की जाने,

(9) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत संकट होने,

(10) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य की सागर जल आवर्धन परियोजना से डूब प्रभावित कृषकों को आवंटित भूमि पर कब्जा न मिलने,

(11) डॉ. नारायण परमार, सदस्य की उज्जैन जिला चिकित्सालय में कुत्ते काटने का इंजेक्शन उपलब्ध न होने,

(12) श्री बोधसिंह भगत, सदस्य की रीवा जिले की हनुमना तहसील के एक ग्राम के सरपंच, उपसरपंच द्वारा अनियमितता की जाने,

(13) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य की रीवा जिले में नकली दवाओं का अवैध कारोबार होने,

(14) श्री गिरिजा शंकर शर्मा, सदस्य की होशंगाबाद जिले के विकास खंड केसला अंतर्गत स्वीकृत कार्य को प्रारंभ न किये जाने,

(15) श्री नाना भाऊ मोहोड़, सदस्य की छिंदवाड़ा जिले के ग्राम कल्याण सेवा समिति सोनपुर द्वारा स्वीकृत अनुदान कर्मचारियों को न दिये जाने,

(16) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य की मंदसौर जिले के ग्राम जवासिया में कन्या हाई स्कूल खोले जाने,

(17) श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, सदस्य की शाजापुर जिले के ग्राम मांदलारखेड़ी के एक पुरूष को जिन्दा जलाये जाने,

(18) श्री धुलजी चौधरी, सदस्य की रतलाम जिले के जर्जर विद्युत तारों को न बदले जाने,

(19) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा सहायक प्राध्यापकों की पदोन्नति में अनियमितता किये जाने,

(20) श्री अंतर सिंह दरबार, सदस्य की महू तहसील के ग्राम पिगडंबर के सरपंच द्वारा अनियमितता किये जाने,

(21) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की खाचरौद क्षेत्र में विद्युत के नाम पर अवैध वसूली होने,

(22) श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य की भिण्ड जिले में ओला पीड़ितों को राहत राशि न दी जाने,

(23) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल, सदस्य की बालाघाट जिले में औपचारिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशक एवं पर्यवेक्षकों को मानदेय न दिये जाने,

(24) पं. रमेश दुबे, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के लोक निर्माण विभाग में मस्टर रोल पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा अभिलेखों में हेराफेरी होने,

(25) श्री जय सिंह मरावी, सदस्य की जिला अनूपपुर की शासकीय भूमि के आम रास्ते को बन्द किये जाने,

(26) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की रीवा जिले के गंज स्थित कृषि भूमि पर बने आवास से बेदखली की जाने,

(27) श्री रामदास उईके, सदस्य की छिंदवाड़ा के शासकीय कन्या हाई स्कूल जुन्नारदेव में कर्मचारियों की व्यवस्था न होने,

(28) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य की उम्मेदगढ़ में स्वीकृत शाला भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ न किये जाने,

(29) श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य की सीधी जिले में कूप एवं सड़क निर्माण में अनियमितता होने,

(30) श्रीमती अर्चना चिटनीस, सदस्य की बुरहानपुर जिले के विकास खंड खकनार एवं पंधाना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे की सूची में नाम शामिल करने हेतु आवेदन लंबित होने,

(31) श्री बृजमोहन दास धूत, सदस्य की प्रदेश में बुनकर सहकारी समितियों में सामान्य वर्ग के लोग अध्यक्ष पद पर आसीन होने,

(32) श्री बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य की बीज निगम के दोषी कर्मचारियों के जांच संबंधी अभिलेख अन्वेषण ब्यूरो को प्राप्त होने के बाद कार्यवाही में विलम्ब होने,

(33) श्री मनोहरलाल राठौर, सदस्य की भोपाल के साउथ टी.टी. नगर स्थित शासकीय आवासों के परिसरों में अवैध अतिक्रमण होने,

(34) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य की बैतूल जिले के ग्राम हिडली में स्वीकृत शाला भवन को अन्यत्र स्थानांतरित किये जाने,

(35) श्री शिवप्रसाद राठौर, सदस्य की बैतूल जिले में विद्युत करेंट से फसलों की क्षति का मुआवजा न मिलने,

(36) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य की उज्जैन के नागेश्वर मंदिर के पुजारी को नियमानुसार भेंट राशि न मिलने,

(37) श्री हमीद काजी, सदस्य की खंडवा जिले के ग्राम मूंदी में शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण होने,

(38) श्री आरिफ अकील, सदस्य की कोहेफिजा फिटनेस सेंटर द्वारा अधिक प्रवेश शुल्क लिये जाने,

(39) श्री जालम सिंह पटेल, श्री संजय शर्मा, सदस्य की नरसिंहपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत अनेक ग्रामों में हैजा रोग फैलने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री जयंत मलैया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने सिंहस्थ 2004 जांच दल क्रमांक 1 से 5 तक के जांच प्रतिवेदन पटल पर रखे।

5. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज की कार्य सूची में 34 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुए सम्मिलित किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमशः 8 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं सभा में संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाओं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(ग्राम केरवना की घटना पर ध्यान आकर्षण सूचना को ग्राह्य कर चर्चा कराने की मांग करते हुए नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती जमुना देवी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया)

(1) सर्वश्री गजराज सिंह सिकरवार, बृजेन्द्र तिवारी, सत्यदेव कटारे सदस्य ने मुरैना जिले की ग्राम पंचायत टिकटोली के मजरा किराजकापुरा में सैकड़ों बकरियां चुराये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री बृजेन्द्र तिवारी, आरिफ अकील, लाल सिंह आर्य, सुनील नायक, बृजेन्द्र सिंह राठौर, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भोपाल में संचालित तकनीकी महाविद्यालयों द्वारा आवंटित भूमि के डायवर्सन में नियमों का उल्लंघन किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कमल पटेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) सर्वश्री उमाशंकर गुप्ता, आरिफ अकील, सुनील नायक, सदस्य ने भोपाल में अवैध रूप से टावर एवं होर्डिंग लगाये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जयंत मलैया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने चंबल क्षेत्र में नक्सलियों की सक्रियता बढ़ने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(5) श्री बोध सिंह भगत, सदस्य ने बालाघाट जिले में कृषकों को खाद बीज न मिलने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

चौधरी चन्द्रभान सिंह, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(6) श्री हरवंश सिंह, सदस्य ने सिवनी जिले के छपारा में दो पत्रकारों पर हमला किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(7) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य ने मंदसौर जिले में कृषकों से विद्युत देयकों की अधिक वसूली किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(8) श्री बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य ने प्रदेश में जंगल क्षेत्र के मुआवजे के कारण लघु सिंचाई योजनाओं की लागत दर अधिक होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अनूप मिश्रा, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े माने गए :-

(9) डॉ. ढाल सिंह बिसेन, सदस्य की मध्यप्रदेश बीज निगम के दोषी अधिकारी पर कार्यवाही न किये जाने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य।

(10) श्री हरवंश सिंह, सदस्य की सिवनी जिले के ग्राम सिहोरा में जोबा नाले पर बांध का निर्माण न किये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(11) श्री आरिफ अकील, सदस्य की रीवा केन्द्रीय जेल के जेलर पर प्राण घातक हमला होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(12) श्री प्रेमचन्द गुड्डू, सदस्य की रतलाम के आलोट में हत्या के अपराधी को न पकड़े जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(13) श्री मारोतराव खवसे, सदस्य की पांढुर्ना स्थित महाविद्यालय भवन का निर्माण अपूर्ण होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री उच्च शिक्षा का वक्तव्य।

(14) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल में लूट की अनेक घटनाएं घटित होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(15) पं.रमेश दुबे, सदस्य की छिंदवाड़ा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरई में स्वास्थ्य सुविधा का अभाव होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(16) श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य की शाजापुर जिले के गुलाना क्षेत्र में कम क्षमता के विद्युत ट्रांसफार्मर लगाये जाने संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य।

(17) डॉ. ढाल सिंह बिसेन, सदस्य की सिवनी जिले की हिर्री नदी पर पुल का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य।

(18) श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य की शाजापुर जिले के गुलाना क्षेत्र में स्थित सिंचाई तालाबों पर अतिक्रमण होने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(19) सर्वश्री अश्विन जोशी, प्रेमचन्द गुड्डू, राजनारायण सिंह पुरनी, सदस्य की इंदौर पुलिस द्वारा चोरी के पाईप पकड़े जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(20) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य की भोपाल नगर निगम द्वारा नालों की सफाई में जमा मलवा न हटाये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य।

(21) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की उज्जैन जिले के नागदा में आपराधिक घटनाएं घटित होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(22) श्री धुलजी चौधरी, सदस्य की रतलाम जिले में नहरों के रखरखाव हेतु कम राशि आवंटित किये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(23) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की सीधी जिले की महान परियोजना में प्रभावितों को उपयुक्त मुआवजा न दिये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(24) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की सतना जिले के ग्राम रनेही में एक बालिका की हत्या किये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(25) सर्वश्री सज्जन सिंह वर्मा, रामनिवास रावत, आरिफ अकील, सदस्य की पन्ना जिले के ग्राम सुहाना निवासी युवक की पुलिस हिरासत में मौत होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(26) श्री प्रेमचन्द गुड्डू, सदस्य की इंदौर नगर निगम द्वारा कम्प्यूटराइजेशन कार्य में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य।

(27) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य की कटनी जिले में मार्बल उद्योग की डस्ट को कृषकों की उपजाऊ कृषि भूमि पर फेके जाने संबंधी सूचना तथा आवास एवं पर्यावरण विकास मंत्री का वक्तव्य।

(28) श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य की भिण्ड जिले में अनेक ओला प्रभावित ग्रामों का सर्वे न किये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(29) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिले के ग्राम सरारी-खारे एवं गोठरा-वनाद मार्ग के निर्माण में लगे श्रमिकों को भुगतान न किये जाने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य।

(30) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य की कटनी जिले में अवैध शराब की बिक्री होने संबंधी सूचना तथा वाणिज्यिक कर मंत्री का वक्तव्य।

(31) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी, सदस्य की शिवपुरी जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य।

(32) श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य की भिण्ड जिले के ग्राम डिडोना में एक व्यक्ति की हत्या होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(33) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य की नरसिंहपुर जिले में गन्ने की खरीदी समर्थन मूल्य पर न किये जाने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य।

(34) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य की भिण्ड जिले के अटेर मार्ग पर बस चालक एवं परिचालक के साथ मारपीट किये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

6. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में घोषणा की गई कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 138-मुलताई के सदस्य, डॉ. सुनीलम् ने विधान सभा के वर्तमान जुलाई-अगस्त, 2007 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही है।

अनुज्ञा प्रदान की गई।

7. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री इन्द्रजीत कुमार, सभापति ने लोक लेखा समिति का 350 वां से 363 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(2) श्रीमती सुधा जैन, सभापति ने प्राक्कलन समिति का द्वादश प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(3) श्री अंचल सोनकर, सभापति ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का बारहवां एवं तेरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

8. प्रतिवेदन के प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री नरेश दिवाकर (डी.एन.), सभापति ने मध्यप्रदेश विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम-228 के अंतर्गत प्रस्ताव किया कि -

(1) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य विधान सभा द्वारा रेलवे के सतर्कता अधिकारियों के विरूद्ध,

(2) श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष द्वारा श्री अजय विश्नोई, मंत्री, मध्यप्रदेश शासन के विरूद्ध एवं

(3) श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री अजय विश्नोई, मंत्री, मध्यप्रदेश शासन के विरूद्ध

समिति को जांच एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. नियम 239 के अंतर्गत सदन को सूचना

उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उनके समक्ष निम्नांकित विशेषाधिकार भंग की सूचनाएं विचाराधीन हैं :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सेवढ़ा, जिला-दतिया के विरूद्ध,

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य विधान सभा के विरूद्ध एवं

(3) श्री राजनारायण सिंह पुरनी, सदस्य विधान सभा द्वारा थाना प्रभारी ग्राम-नर्मदानगर, खण्डवा के विरूद्ध.

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की उज्जैन जिले के -

(क) ग्राम खाचरोद जावरा मार्ग पर रेलवे फाटक के पास रेल्वे ओवर ब्रिज स्वीकृत किये जाने, तथा

(ख) नागदा में शासकीय कालोनी व शिवपुरा फाटक जबरन कालोनी के मध्य रेलवे ओवर ब्रिज की स्वीकृत दिये जाने,

(2) डॉ. आई. एम. पी. वर्मा, सदस्य की भोपाल जिले के नार्थ टी. टी. नगर स्थित शासकीय आवास क्र. एच 19 ए/ब्लाक 1 से 12 तक फर्शीकरण कराये जाने,

(3) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना जिले के ग्राम नन्दपुरा, मथुरापुर, डावर का पुरा के कटावों को रोके जाने,

(4) श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य की देवास जिले के -

(क) ग्राम पीपलरवा से बेरछा तक मार्ग निर्माण कराये जाने,

(ख) ग्राम पीपलरवा में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने,

(ग) नगर पंचायत टोकखुर्द में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने, तथा

(घ) ग्राम इकलेरा माताजी एवं सुरजना मार्ग पर काली सिन्ध नदी में पुल निर्माण कराये जाने,

(5) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के ग्राम बसोवा से दोन तक मार्ग बनाये जाने,

(6) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल जिले के -

(क) शहर के नव बहार सब्जी मण्डी की साफ-सफाई किये जाने,

(ख) शहर में नर्मदा जल लाये जाने,

(ग) डेयरियों को शहर से बाहर स्थापित कराये जाने,

(घ) शहर के बंद पड़े प्याऊओं को चालू कराये जाने,

(ङ) शहर के कुएं एवं बावड़ी की साफ-सफाई कराये जाने, एवं

(च) शहर के धार्मिक स्थलों के पास से देशी एवं अंग्रेजी शराब की दुकानों को हटाये जाने,

(7) श्री नाना भाऊ मोहोड़, सदस्य की भोपाल जिले के अयोध्या बायपास मार्ग से ग्राम दामखेड़ा, कोच फैक्ट्री एवं रेल्वे स्टेशन तक मार्ग का निर्माण कराये जाने तथा

(8) पं. रमेश दुबे, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के देवर्धा, नेर, बनगांव, खैरीभुताई, अजनिया से नई कृषि मण्डी तक पहुंच मार्ग बनाये जाने

संबंधी याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई।

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन विधेयक, 2007 (क्रमांक 22 सन् 2007) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री राजनारायण सिंह पुरनी

(2) डॉ. सी.एस. भवेदी

(3) श्री हरवंश सिंह

श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 10 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन विधेयक, 2007 (क्रमांक 22 सन् 2007) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य, वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 23 सन् 2007) पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड-4

श्री ध्यानेन्द्र सिंह, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खण्ड-4 में इस प्रकार संशोधन किया जाय :-

खण्ड-4 के उपखण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात :-

"(दो) उपधारा (3) में, शब्द "द्वितीय श्रेणी शयनयान या द्वितीय श्रेणी द्वारा अपनी पत्नी/अपने पति या एक परिचारक के साथ" के स्थान पर, शब्द "द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित शयनयान द्वारा अपनी पत्नी/अपने पति या एक परिचारक के साथ" स्थापित किए जाएं."

संशोधन स्वीकृत हुआ।

यथा संशोधित खण्ड 4 विधेयक का अंग बना।

खण्ड-9

श्री ध्यानेन्द्र सिंह, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खण्ड-9 में इस प्रकार संशोधन किया जाय :-

खण्ड-9 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"9. मूल अधिनियम की धारा 7 में, --"

धारा 7 का संशोधन.

(एक) उपधारा (1-क) में, खण्ड (तीन) में, शब्द "संचालक, लोक स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश" के स्थान पर, शब्द "संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश" स्थापित किए जाएं, और कोलन के स्थान पर अर्द्ध-विराम स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएं, अर्थातः-

"(चार) राज्य के भीतर एवं राज्य के बाहर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों के आंतरिक रोगी के रूप में कराई गई चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार तथा शल्य चिकित्सा पर हुए समस्त प्रभारों की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा;

(पांच) सदस्य के अचानक बीमार हो जाने तथा राज्य के बाहर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में, संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश की पूर्व अनुमति के बिना चिकित्सीय उपचार कराने की स्थिति में, शासन द्वारा विनिर्दिष्ट बीमारियों पर नियमानुसार अग्रिम प्राप्त करने का हकदार होगा और ऐसे अग्रिम को स्वीकृत करने के लिए प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा अधिकृत होगा तथा यह अग्रिम संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश के अनुमोदन के पश्चात् चिकित्सा प्रतिपूर्ति में से समायोजित किया जाएगा;".

(दो) उपधारा (2) में, शब्द "सचिव" के स्थान पर, शब्द "प्रमुख सचिव" स्थापित किए जाएं.

संशोधन स्वीकृत हुआ।

यथा संशोधित खण्ड 9 विधेयक का अंग बना।

खण्ड 2,3,5,6,7 तथा 8 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य, वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 23 सन् 2007) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

12. सत्र का समापन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सत्र समापन के अवसर पर सदन में उद्बोधन दिया कि -

"मध्य प्रदेश की द्वादश विधान सभा का यह द्वादश सत्र अब समापन की ओर अग्रसर है। पन्द्रह दिवसीय इस मानसून सत्र में नौ बैठकें हुई और अनेक वित्तीय, विधायी और लोक महत्व के कार्य संपन्न हुए। इस सत्र में सदन ने वर्ष 2007-2008 की प्रथम अनुपूरक मांगों को अपनी स्वीकृति प्रदान की, वहीं नौ शासकीय विधेयक पारित किये गये।

इस सत्र में कुल 2753 प्रश्न प्राप्त हुए, जिसमें 1686 तारांकित प्रश्न एवं 1067 अतारांकित प्रश्न थे। ध्यानाकर्षण की कुल 663 सूचनाएं प्राप्त हुई। सदन में एक अशासकीय संकल्प पारित किया गया। इस सत्र में कुल 106 याचिकाएं प्रस्तुत हुई। सदन में नियम -139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर भी चर्चा हुई। विभिन्न सभा समितियों के प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किये गए।

सदन में संपन्न कार्य और विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा उठाए गए विविध विषय इस बात के द्योतक हैं कि सदस्यगण जन-कल्याण के प्रति सजग, समर्थ, समर्पित और प्रतिबद्ध हैं और उनके इन कार्यों के सामने कोई दलगत विवशता नहीं रहती। चाहे वह पक्ष हो या विपक्ष, सदस्य एक ही भावना से अनुप्राणित

होकर अपने संसदीय दायित्वों का पूरी सक्षमता से निर्वाह करते हैं और वह है जनता का अधिकतम हित। वस्तुतः यह सब संसदीय शासन प्रणाली में ही संभव होता है कि लाखों व्यक्तियों का एक ही प्रतिनिधि उनकी भावनाओं, इच्छाओं और समस्याओं को पूरी मुखरता के साथ सदन में स्वर देता है, जिससे जनता की भावनाओं को अभिव्यक्ति मिलती है। संसदीय लोकतंत्र की सफलता भी इसी के कारण है, साथ ही इस व्यवस्था के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास भी बढ़ता है।

मध्यप्रदेश की विधान सभा देश की श्रेष्ठ विधान सभाओं में से एक है जिसने नवाचारों की शुरूआत करके संसदीय कार्य पद्धति को पुष्ट किया है और प्रदेश में संसदीय संस्कृति के निर्माण और स्थापना के लिए वातावरण तथा भूमि तैयार की है। निश्चित रूप से इसका श्रेय इस सभा के सदस्य रहे योग्य और कर्मठ सदस्यों को जाता है। वर्तमान कर्णधार होने के नाते हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम अपने कार्य और आचरण से इस स्वर्णिम विरासत को और समृद्ध बनाकर भावी पीढ़ी को सौंपें। यह विधान सभा, मर्यादाओं और परम्पराओं का मंदिर है, इससे जनता को बड़ी अपेक्षाएं हैं। इन अपेक्षाओं पर हम सभी को खरा उतरना है।

सत्र समाप्ति के अवसर पर कार्य संचालन में सहयोग देने के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय उपाध्यक्ष, सभापति तालिका के माननीय सदस्यगण एवं सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के सभी पत्रकारों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने सदन की पल-पल की कार्यवाही को आम जन तक पहुंचाकर पूरी सक्षमता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इस अवसर पर मैं विधान सभा सचिवालय एवं शासन के अधिकारियों-कर्मचारियों तथा सुरक्षा कर्मियों को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

हम सब शीतकालीन सत्र में पुनः समवेत होंगे। मैं अपनी ओर से आपको एवं प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन पर्व की बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। मैं यह भी कामना करता हूं कि प्रदेश सुख-समृद्धि की ओर निरंतर आगे बढ़े तथा प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का बहुमुखी विकास और उन्नयन हो। इस सदन में हमारे आपके आने का उद्देश्य ही जन-जन का कल्याण एवं प्रदेश का विकास करना है। इस दिशा में हमारे - आपके प्रयास निरंतर जारी हैं और इसमें सफलता की आशा है। धन्यवाद्।"

सत्र समापन के अवसर पर श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, श्रीमती जमुना देवी नेता प्रतिपक्ष, श्री हजारीलाल रघुवंशी उपाध्यक्ष महोदय एवं श्री बुंदेला विजय बहादुर सिंह, सदस्य ने भी अपने विचार व्यक्त किये तथा सबके प्रति आभार प्रकट किया।

13. राष्ट्रगान

सदन में माननीय सदस्यों द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का समूह-गान किया गया।

14. सत्र का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन

अपराह्न 1 बजकर 57 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.